RBE NO: 90 /2015.

GOVERNMENT OF INDIA(**BHARAT SARKAR)**
MINISTRY OF RAILWAYS(**RAIL MANTRALAYA)**
(RAILWAY BOARD)

NO:E(G)2014 QR-1-2 New Delhi, Dated:12.08.15

The General Managers,
All Indian Railways &
Production Units.
(Others :As per standard list)

Sub: Retention of Railway accommodation at the previous place of posting by Railway Officers/staff posted to Railway Training Institutions as Faculty members and Railway Officers posted as Chairman/RRBs.

Board vide letter No.E(G) 98 QR 1-10 dated 03.09.13 had permitted retention of accommodation at the previous place of posting for full tenure of posting in the Training Institutes to the Officers/staff posted to Railway Training Institutions as Faculty members. Board also vide letter No. E(G) 2009 RN-5-Misc.3 dated 23.11.09 had permitted Railway Officers/staff posted as Chairman/RRBs to retain Railway quarter at their previous place of posting for a period not exceeding three years on payment of normal rent.

2. In exercise of the powers vested with the full Board for making reasonable relaxations in public interest in all or any of the existing provisions regarding allotment/retention of Railway accommodation and charging of rent therefor for a class/group of employees, the Board have decided as under:-

(i) The Chairman and Faculties presently posted to RRBs and CTIs, be allowed retention for their entire tenure.

(ii) All new Officers to be posted as Faculty or Director to CTIs, shall be allowed retention as normally available on transfer i.e. two months on normal rent and another six months on double the normal rent (special License Fee).

(iii) All new Chairman/RRB to be posted, shall be allowed retention as normally available on transfer as per para (ii) above. There shall be one exception in respect of Chairman/RRB/Guwahati, who will be allowed full retention for entire tenure on normal rent as he is treated at par with officers posted to NF Railway also headquartered at Guwahati.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(SANJAY GAURI)
Deputy Director Estt.(Genl.)-II

NO:E(G)2014 QR-1-2 New Delhi, Dated:12.08.15

1. FA&CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance) RDSO, Lucknow.
3. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi. (copy with 46 spares).

For Financial Commissioner/Railways.

..../-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी)2014क्यूआर-1-2 नई दिल्ली, दिनांक 12/08/2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
(अन्य : मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में फैकल्टी सदस्यों के रूप में तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों और रेलवे भर्ती बोर्डों में अध्यक्ष के रूप में तैनात रेलवे अधिकारियों द्वारा तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखना।

बोर्ड ने दिनांक 03.09.13 के पत्र सं. ई(जी)98 क्यूआर 1-10 के तहत रेल प्रशिक्षण संस्थानों में फैकल्टी सदस्य के रूप में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तैनती की संपूर्ण अवधि के लिए उनकी तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी। बोर्ड ने दिनांक 23.11.09 के पत्र सं. ई(जी)2009 आरएन-5-मिस.3 के तहत भी अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड के रूप में तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्य किराए का भुगतान करने पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए उनकी तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति दी थी।

2. रेलवे आवास आबंटन/अपने पास रखने से संबंधित सभी अथवा किन्हीं मौजूदा प्रावधानों में कर्मचारियों की किसी श्रेणी/ग्रुप को जनहित में समुचित रियायत देने के लिए संपूर्ण बोर्ड के पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड ने निम्नानुसार निर्णय लिया है:-

(i) रेलवे भर्ती बोर्डों और सीटीआई में वर्तमान में तैनात अध्यक्ष और फैकल्टी सदस्यों को उनके संपूर्ण कार्यकाल के लिए रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाए।

(ii) सीटीआई के फैकल्टी या निदेशक के रूप में तैनात किए जाने वाले सभी नए अधिकारियों को सामान्यत: स्थानांतरण के मामले में मौजूद नियमों के अनुसार अर्थात् सामान्य किराए पर दो माह के लिए और सामान्य किराए (स्पेशल लाइसेंस शुल्क) के दोगुने पर अगले छ: माह के लिए आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) तैनात किए जाने वाले रेलवे भर्ती बोर्डों के सभी नए अध्यक्षों को ऊपर पैरा (ii) के अनुसार स्थानांतरण के मामले में मौजूद नियमों के अनुसार आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी। अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड, गुवाहाटी के संबंध में अपवाद होगा कि उन्हें संपूर्ण कार्यकाल के दौरान सामान्य किराए पर आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उन्हें गुवाहाटी मुख्यालय वाले पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तैनात अधिकारियों के समान माना जाता है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

(संजय गौरी)
उपनिदेशक, स्थापना(सा.)-II

सं. ई(जी)2014क्यूआर-1-2 नई दिल्ली, दिनांक 12/08/2015

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।
2. संयुक्त निदेशक (वित्त), अआमासं, लखनऊ ।
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(प्रि. आनन्द कुमार

कृते वित्त आयुक्त/रेलें